न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 31 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. धनाराम उर्फ धनराज पटेल पुत्र रूपाराम उर्फ रूपाराम पटेल जाति कुम्हार निवासी बिजलीयावास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे, श्री श्याम गहलोत अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 11/11/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बिजलीयावास, प0ह0 खारीया सोडा, भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खसरा नंबर 104 से 110, 423 से 425, 427, 428, 430, 434, 436, 437, 439 से 441 कुल खसरा 19 कुल रकबा 12.0800 हैक्टर किस्म बंजड़, गै0मु0 आबादी, गै0मु0 बाडा, चा0दो0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम धनाराम पुत्र रूपाराम दर्जसुदा हैं। वादी को गांव परिवार में धनाराम पुत्र रूपाराम व धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता हैं। इसलिए वादी उक्त वादरथ आराजीयात की भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के दस्तावेजी नाम धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल दुरूस्त दर्ज करवाने हेतु खातेदारी घोषणा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी हैं। इस अधिवक्ता मय वादी द्वारा वाद पेश कर सरहद मौजा बिजलीयावास, प0ह0 खारीया सोडा, भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खसरा नंबर 104 से 110, 423 से 425, 427, 428, 430, 434, 436, 437, 439 से 441 कुल खसरा 19 कुल रकबा 12.0800 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी व वादी के पिता का नाम धनाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल दुरूस्त किया जाकर खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश करना नहीं चाहने से जवाब दावा बंद किया गया। तहसीलदार सोजत से मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट चाहने से तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक / रीडर / 2024 / 1449 दिनांक 24.09.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादरथ आराजीयात की कृषि भूमि धनाराम पुत्र रूपाराम कुम्हार हिस्सा 3 / 4 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, धनाराम पुत्र रूपाराम का वास्तविक नाम धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल हैं, रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में वर्णित अपने कथनों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी व वादी के पिता का नाम धनाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल दुरूस्त किया जाकर खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा माफिक

उपखण्ड अधिकारी

ईश्तदुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार नाम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद जवाब दावा फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के अनुसार वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल होने की संपुष्टि होती है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी तथा वादी के पिता का नाम धनाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल दुरूस्त इन्द्राज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बिजलीयावास, प0ह0 खारीया सोडा, भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खसरा नंबर 104 से 110, 423 से 425, 427, 428, 430, 434, 436, 437, 439 से 441 कुल खसरा 19 कुल रकबा 12.0800 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी व वादी के पिता का नाम धनाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 11/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. धनाराम उर्फ धनराज पटेल पुत्र रूपाराम उर्फ रूपाराम पटेल जाति कुम्हार निवासी बिजलीयावास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 31/2024

यह मुकद्दमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे, श्री श्याम गहलोत तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बिजलीयावास, प0ह0 खारीया सोडा, भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खसरा नंबर 104 से 110, 423 से 425, 427, 428, 430, 434, 436, 437, 439 से 441 कुल खसरा 19 कुल रकबा 12.0800 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी व वादी के पिता का नाम धनाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम धनराज पटेल पुत्र रूपाराम पटेल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान– मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11/11/2024 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बावत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.